न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2024	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान बनाम छाजूलाल किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 34 / 2018 राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 छाजूलाल पिता कानाराम जाति मीना निवासी सींगपुरा की मृत्यु हो चुकी है एवं अप्रार्थी छाजूलाल के कायम मुकाम की सूचना पेश नहीं जाने के कारण प्रकरण लम्बे समये से विचाराधीन है। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक अप्रार्थी छाजूलाल पुत्र कानाराम जाति मीना के वारिसान की जांच कर संशोधित टाइटल एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:24:36 IST
Reason: SelfAttested